न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 59/2025(GCMS 2025/312)

(RTI No.: 212399442097575)

श्री गुरप्रीत सिंह निवासी 9 एसडीएस तख्तहजारा बावरिया, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर : 89528–01427)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.12.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गुरप्रीत सिंह स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी गुरप्रीत सिंह ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.06.2025 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसे लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी गुरप्रीत सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र 08.06.2025 से निम्न चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 8 एसडीएस में 2018 से 2025 के मध्य विद्यालय परिसर से पेड़ काटने की आपके कार्यालय से दी गई अनुमति की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।
2. राजकीय परिसर से हरे पेड़ कटवाने के लिए राजकीय नियम की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।
3. राजकीय परिसर से हरे पेड़ काटने के लिए ब्लॉक स्तर पर अनुमति देने वाले अधिकारी का नाम एवं पद की सूचना प्रदान करें।
4. राजकीय परिसर से पेड़ कटवाने की प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:33 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/25/1563 दिनांक 30.[illegible].2025, 1825 दिनांक 10.09.2025(स्मरण पत्र–1), 3102 दिनांक 13.10.2025(स्मरण पत्र–2), 3539 दिनांक 18.11.2025(स्मरण पत्र–3) एवं 4039 दिनांक 10.12.2025(स्मरण पत्र–4) से रिपोर्ट

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार – 59/2025
(GCMS No. 2025/312)
(RTI No. 212399442097575)

भिजवाने हेतु लिखे जाने के **पश्चात** भी उनके द्वारा अपील का कोई **जवाब**/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> **धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

चूंकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नही?, ज्ञात नहीं होता है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं। आप द्वारा अपील का कोई जवाब न देना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 07 दिवस में, पंजीकृत पत्र द्वारा वांछित सूचना, जो आपके कार्यालय में रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, अधिप्रमाणित, हस्ताक्षरित कर, अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित किया जावे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:38 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर